सी.एन.आर न. एम.पी.32060009872022
प्र.क. एम.जे.सी.आर/60/2022

13.06.2023 राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण साक्षी राजेन्द्र सिंह की साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी राजेन्द्र सिंह अनुपस्थित। उक्त साक्षी को जारी समन अदम तामील वापिस प्राप्त।

न्यायालय द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण के फरियादी का खात्मा कथन लेखबद्ध किया जाना दर्शित होता है।

अतः प्रकरण खात्मा पर विचार हेतु नियत किया जाता है।

खात्मा पर विचार किया गया।

फरियादी मुकेश कुमार अहिरवार हल्का पटवारी, हल्का न.27 ग्राम पंडोखर ग्राम पंडोखर जिला दतिया द्वारा थाना पंडोखर जिला दतिया में असामाजिक तत्वों एवं भूमि पर कब्जा करने के उददेश्य से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जेसीबी मशीन से दिनांक 13.02.2022 को एम.पी.आर.एफ ई. डी का गोदाम/वेयर हाउस को तोडकर गिरा देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर थाना पंडोखर द्वारा अपराध क्र. 60/2022 अंतर्गत धारा 3(1) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 पंजीबद्ध किया गया था।

एफ. आर. के संबंध में फरियादी मुकेश कुमार अहिरवार को परीक्षित किया गया जिसमें उसके द्वारा कथन किया कि वह वर्तमान में पटवारी के पद पर हल्का नंबर 30 ग्राम चांदनी में पदस्थ है। घटना के समय वह मौजा पंडोखर में पटवारी के पद पर पदस्थ था। मौजा पंडोखर में आराजी सर्वे क्रमांक 1880 रकवा 0.84 हेक्टेयर नोईयत शासकीय भवन से लगा हुआ एम.पी.आर.एफ.ई.डी. का गोदाम/वेयरहाउस बना हुआ था जिसको असामाजिक तत्वों एवं भूमि पर कब्जा करने के उददेश्य से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जेसीबी मशीन से दिनांक 13.02.2022 को तोडकर गिरा दिया जिसके संबंध में उसने थाना पंडोखर में आवेदन दिया एवं पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को काफी

ढूढने का प्रयास किया वह नहीं मिले। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में यह खात्मा आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खात्मा आवेदन स्वीकार किये जाने में उसे आपत्ति नहीं हैं।

अतः उक्त फरियादी मुकेश कुमार अहिरवार के उक्त परीक्षण से यह स्पष्ट है कि उक्त फरियादी द्वारा खात्मा स्वीकार किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। अतिरिक्त अनुसंधान से भी प्रकरण में कोई प्रगति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भांडेर को खात्मा स्वीकृति प्रदान किए जाने बावत् लेख किया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भांडेर द्वारा उक्त खात्मा प्रस्तुति हेतु स्वीकृति प्रदान की जानी दर्शित होती है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खात्मा प्रतिवेदन **इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि** भविष्य में अपराध करने वाले व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें।

केस डायरी वापस कर पावती ली जावे एव इस आदेश की एक प्रति थाना प्रभारी थाना पंडोखर को केस डायरी में संलग्न कर भेजी जावे।

आदेश सी.आई.एस. पर अपलोड किया जावे।

पत्रावली नियत समय में अभिलेखागार दतिया भेजी जावे।

सही / –
(विशद गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भांडेर
जिला दतिया, म0प्र0

VISHAD GUPTA
Digitally signed by VISHAD GUPTA
Date: 2023.06.13 18:26:15 +0530